झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 738/2023

नागेन्द्र प्रसाद, आयु लगभग 56 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय बिंदेश्वरी महतो, निवासी ग्राम- विजय नगर, डाकघर- सादीपुर, थाना नवादा, जिला- नवादा, राज्य- बिहार

... प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. वीरेंद्र कुमार मेहता, पुत्र बैजनाथ महतो, निवासी गांव- मंधौती, महातवानिया, महुआ, पीओ- डोमचांच बाजार, थाना- डोमचंच, जिला- कोडरमा...

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अनिल कुमार सिन्हा, एडवोकेट

राज्य के लिए: श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी

ओ.पी. नंबर 2 के लिए: श्री सब्यसांची, एडवोकेट

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पार्टी को सुना गया

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 2022 के शिकायत केस नंबर 1036 की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा पारित दिनांक 12.12.2022 के

संज्ञान आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान मजिस्ट्रेट के तहत एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला पाया गया। याचिकाकर्ता जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा की अदालत में लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को श्रम शुल्क, स्टोन चिप्स के बकाया के रूप में देय राशि के संबंध में एचडीएफसी बैंक के चेक सौंपे, जो शिकायतकर्ता द्वारा स्टोन क्रशर की स्थापना के लिए निवेश किए गए थे। चेक दिनांक 08.05.2022 थे। शिकायतकर्ता ने 09.05.2022 को दो चेक प्रस्तुत किए। इसे अस्वीकार कर दिया गया और शिकायतकर्ता द्वारा 18.05.2022 को धन की अपर्याप्तता के लिए चेक रिटर्न मेमो प्राप्त किया गया। शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से 19.05.2022 को चेक की राशि मांगी और 01.06.2022 को एक नोटिस भी जारी किया जो याचिकाकर्ता को 18.06.2022 को प्राप्त हुआ लेकिन उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इसलिए, 05.07.2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। उसी के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया एन.आई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध पाया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है और याचिकाकर्ता ने दस साल के लिए 'किरायानामा' का समझौता किया है। उक्त 'किरायानामा' को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की मां को कानूनी नोटिस भेजा। शिकायतकर्ता ने अपनी मां और उसे भी भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया, लेकिन चालाकी से न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा की अदालत में 2022 का उक्त शिकायत मामला संख्या 1036 दायर किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त 'किरायानामा' के निर्वाह के दौरान, याचिकाकर्ता के वादे की सुरक्षा में, शिकायतकर्ता ने दो खाली चेक की मांग की और उसने 3,00,000/- रुपये और 2,00,000/- रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक इस शर्त के साथ दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता को 10,00,000/- रुपये का भुगतान करेगा और भले ही याचिकाकर्ता ने 10,00,000/- रुपये का भुगतान किया हो, (ग) शिकायतकर्ता ने सहमति के अनुसार 00,000/- रुपए का चैक वापस नहीं किया और सुरक्षा प्रयोजन के लिए दिए गए उक्त चेकों

का शिकायतकर्ता द्वारा इस शिकायत का मामला दर्ज करने के लिए दुरुपयोग किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, **सिविल अपील संख्या 5239/2002** में पारित **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, और प्रस्तुत करते हैं कि एक व्यक्ति जो साफ हाथों के बिना अदालत में आता है, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2022 के शिकायत केस नंबर 1036 की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 12.12.2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

6. राज्य की ओर से पेश विद्वान स्पेशल पीपी और विपरीत पक्ष नंबर 2 के विद्वान वकील ने 2022 के शिकायत केस नंबर 1036 की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 12.12.2022 को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया। राज्य की ओर से पेश विद्वान विशेष पीपी प्रस्तुत करता है कि जहां तक **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, जैसा कि **माविलाई सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम आयकर आयुक्त** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, कालीकट और अन्य (2021) 7 एससीसी 90 पैराग्राफ-28 और 29 में रिपोर्ट किया गया, जिनमें से नीचे पढ़ा गया है: -

> "*28. दलबीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में एपी सेन, जे. के असहमतिपूर्ण निर्णय में एक ज्ञानवर्धक चर्चा पाई जा सकती है। पंजाब राज्य [दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1979) 3 एससीसी 745: 1979 एससीसी (सीआरआई) 848: (1979) 3 एससीआर 1059]। चूंकि असहमतिपूर्ण निर्णय सामान्य अनुप्रयोग के सिद्धांत को संदर्भित करता*

है, बहुमत द्वारा खंडन नहीं किया जाता है, इसलिए निर्णय के इस हिस्से को निम्नानुसार स्थापित करना उचित है: (एससीसी पृष्ठ 755, पैरा 22)

> *"22. बड़े सम्मान के साथ, राजेंद्र प्रसाद मामले [राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 3 एससीसी 646: 1979 एससीसी (सीआरआई) 749] में बहुमत का निर्णय सामान्य प्रयोज्यता का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं देता है। किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सजा के सवाल पर निर्णय को कभी भी बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर बहुत कम "कानून घोषित" ताकि भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों को बाध्य किया जा सके। मिसालों के सुव्यवस्थित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक निर्णय में तीन मूल तत्व होते हैं:*
>
> *(i) भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानात्मक। तथ्यों का एक अनुमानित निष्कर्ष वह अनुमान है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष या बोधगम्य तथ्यों से निकालता है;*
>
> *(ii) तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के विवरण; और*
>
> *(iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय।*

पार्टियों के स्वयं और उनके विशेषाधिकार के प्रयोजनों के लिए, घटक (iii) निर्णय में भौतिक तत्व है क्योंकि यह कार्रवाई के विषय-वस्तु के संबंध में अंततः उनके अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करता है। यह निर्णय है जो पार्टियों को विवाद को फिर से खोलने से रोकता है। हालांकि, मिसालों के सिद्धांत के उद्देश्य के लिए, घटक (ii) निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है। यह वास्तव में अनुपात तय है। [आरजे वाकर और एमजी वाकर, द इंग्लिश लीगल सिस्टम, तीसरा संस्करण। (बटरवर्थ्स, लंदन 1972) पीपी 123-24। निर्णय देते समय न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात एक पूर्वोदाहरण नहीं है। एक न्यायाधीश के फैसले में एक

पार्टी को बांधने वाली एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामला तय किया जाता है और इस कारण से किसी निर्णय का विश्लेषण करना और इससे अनुपात निर्णय को अलग करना महत्वपूर्ण है। क्वालकास्ट (वॉल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम हेन्स [क्वालकास्ट (वॉल्वरहैम्प्टन) लिमिटेड बनाम हेन्स, 1959 एसी 743: (1959) 2 डब्ल्यूएलआर 510 (एचएल)] के प्रमुख मामले में यह निर्धारित किया गया था कि अनुपात निर्णय को तथ्यों द्वारा उठाए गए कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के बयान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिस पर निर्णय आधारित है। निर्णय में अन्य दो तत्व मिसाल नहीं हैं। निर्णय बाध्यकारी नहीं है (सीधे पार्टियों को छोड़कर), न ही तथ्यों के निष्कर्ष हैं। इसका मतलब यह है कि यहां तक कि जहां पहले के मामले के प्रत्यक्ष तथ्य अदालत के समक्ष मामले के समान प्रतीत होते हैं, न्यायाधीश उसी निष्कर्ष को आकर्षित करने के लिए बाध्य नहीं है जैसा कि पहले के मामले में निकाला गया था।

29. पूर्वोक्त निर्णयों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि सिटीजन कॉप सोसाइटी [सिटीजन कॉप सोसाइटी लिमिटेड बनाम सीआईटी, (2017) 9 एससीसी 364] में अनुपात निर्णय उस मामले में तथ्यों पर पहुंचे निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करेगा, मामला वास्तव में कानून में क्या तय करता है इसके लिए एक प्राधिकरण है और इसके लिए नहीं जो तार्किक रूप से इसका पालन कर सकता है। इस प्रकार, अकेले तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों का बयान मामले का बाध्यकारी अनुपात है, जो जैसा कि ऊपर कहा गया है, निर्णय के पैरा 18 से 23 में निहित है (ऊपर पैरा 23 में देखें, पीपी 120 बी-सी से 122 सी)। पैरा 24 से 26, निर्णय होने के नाते (ऊपर पैरा 23 में देखें, पीपी 122सी-डी से 123एफ तक) जो मामले के भौतिक तथ्यों पर लागू कानून के सिद्धांत के बयानों के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है, को निर्णय के अनुपात निर्णय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। न ही यह कहा जा सकता है कि यह तथ्यों पर निष्कर्ष से तार्किक

रूप से पालन करेगा कि मूल्यांकन अधिकारी एक सोसायटी के पंजीकरण के पीछे जा सकता है और इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि विचाराधीन समाज अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अकेले इस आधार पर, इस फैसले के बारे में पूर्ण पीठ की समझ को गलत ठहराया जाना चाहिए और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

कि किसी फैसले में लिखी गई कोई भी बात मिसाल नहीं बन सकती और पूर्वता के सिद्धांत के लिए, तथ्यों द्वारा प्रकट कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों के बयान का घटक निर्णय में महत्वपूर्ण तत्व है और यह वास्तव में अनुपात निर्णय है। ऐसा नहीं है कि निर्णय देते समय एक न्यायाधीश द्वारा कही गई हर बात एक मिसाल का गठन करती है और प्रस्तुत करती है कि **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा)** के मामले में अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है कि तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांत का बयान और इसका वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, उक्त मामले का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

7. जहां तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को सुरक्षा के रूप में चेक दिया गया था, इस पर केवल मुकदमे के दौरान बचाव के समय ही विचार किया जा सकता है और अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्रीपति सिंह (मृतक) के मामले में अपने बेटे गौरव सिंह बनाम राज्य के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं झारखंड सरकार और अन्य ने 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1002 पैरा -23 में रिपोर्ट किया है, जिसमें से निम्नानुसार है: -

> "23. ये पहलू प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि पक्षों के बीच एक लेन-देन था जिसके लिए अपीलकर्ता द्वारा कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का दावा किया गया था और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी चेक प्रस्तुत किया गया था। ऐसे चेक के अनादरित होने पर, नोटिस जारी करने और भुगतान न किए जाने पर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न

हुआ था। आगे का बचाव कि क्या ऋण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सहमति के अनुसार चुकाया गया था और उस परिस्थिति में सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक उसके बाद भुगतान के लिए चालू नहीं था आदि, सबसे अच्छा प्रतिवादी संख्या 2 के लिए एक बचाव हो सकता है जिसे आगे रखा जाना चाहिए और परीक्षण में स्थापित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, न्यायालय के लिए यह मामला नहीं था कि वह संज्ञान लेने से इनकार करे या प्रतिवादी संख्या 2 को उस तरह से बरी करे जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है। इसलिए, हालांकि धारा 420 आईपीसी के तहत एक आपराधिक शिकायत तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में टिकने योग्य नहीं थी, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत बनाए रखने योग्य थी और सभी विवादों और बचाव पर मुकदमे के दौरान विचार किया जाना था।" (जोर दिया गया)

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस सीआरएमपी को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

8. विपरीत पक्ष नंबर 2 के विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला खोजने या याचिकाकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देने के लिए विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस सीआरएमपी को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाए।

9. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने चेक जारी किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को मांग का नोटिस दिया गया था, याचिकाकर्ता ने इसे प्राप्त किया लेकिन इसका जवाब नहीं दिया और उसके बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की और विद्वान ने मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध

पाया है। ये सामग्रियां विद्वान मजिस्ट्रेट के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला खोजने के लिए पर्याप्त थीं। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि चेक सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किए गए थे, एक बचाव है, जो निश्चित रूप से वह मामले की सुनवाई के दौरान ले सकता है, लेकिन निश्चित रूप से शिकायतकर्ता पर आरोप लगाने के लिए एक बचाव को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि वह अदालत में बेदाग हाथों से नहीं आया है और उस आधार पर, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित शिकायत से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

10. जहां तक दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (सुप्रा) के फैसले का संबंध है, उसी में कानून के कुछ स्थापित सिद्धांत के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थीं, लेकिन जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का बचाव सही है और उस आधार पर कानून में एनआई की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अनुमति नहीं है। इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम।

11. तदनुसार, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा 2022 के शिकायत केस नंबर 1036 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 12.12.2022 पारित करने में कोई अवैधता नहीं की गई है।

12. इसलिए, याचिकाकर्ता की 2022 की शिकायत केस संख्या 1036 की पूरी आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, कोडरमा द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 12.12.2022 को रद्द करने और रद्द करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया जाता है।

13. परिणाम में, यह आपराधिक विविध याचिका खारिज हो जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 06 मार्च, 2024
एएफआर/अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री मधु कुमारी
पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।